जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, उत्तराखण्ड
के

दस्तावेज जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो (Categories) के अनुसार –

(A statement of the categories of documents that are held by it or under its control)

जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान के लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन निम्न प्रवर्गो के दस्तावेज निम्नांकित प्रकार से रहते हैः–

1. प्रशासनिक दस्तावेजः– सेवा नियम एवं स्थापना आदेश, उपस्थिति पंजी, एवं अचल संपत्ति का विवरण।
2. वित्तीय दस्तावेजः– लेखा से सम्बन्धित अभिलेख, बजट आंवटन, आडिट रिर्पोट, कैश बुल, बिल वाउचर आदि का विवरण।
3. वैद्यानिक/कानूनी दस्तावेजः–नियम, उपनियम, शासनादेश, गजट अधिसूचनाएं एवं न्यायालय से सम्बन्धित पत्रावलियॉ।
4. नीतिगत/योजना दस्तावेजः– विभिन्न वैठकों की कार्यवाही निर्णय, वार्षिक, पॉच वर्षीय कार्ययोजना, परियोजना रिर्पोट तथा मासिक, वार्षिक प्रगति इत्यादि।
5. परिचालन/विभागीय दस्तावेजः–दैनिक कार्य से सम्बन्धित पत्रावलियॉ एवं आवक–जावक पंजिका तथा निरीक्षण रिर्पोट इत्यादि।
6. गोपनीय दस्तावेजः–जैसे गतिमान विभागीय जांच एवं संवेदनशील दस्तावेज, जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–8 तथा 9 के दायरे में आती हैं।

निदेशक, जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान

वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारः–

- जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान का बजट उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदत्त किया जाता है। निदेशक द्वारा संस्थान के वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप आवश्यक बजट बनाकर शासन को प्रेषित किया जाता है, जिसके अनुसार शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष संस्थान कार्यो हेतु बजट स्वीकृत किया जाता है।

- बजट स्वीकृति के उपरान्त कार्य योजना के अनुरूप वित्तीय व्यय के सम्पूर्ण अधिकार निदेशक जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान को दिये गये है।

- संस्थान में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों/भ्रमण आदि का भुगतान निदेशक की स्वीकृति के उपरान्त किया जाता है।

- संस्थान के जनपद समन्वयक कार्यालयों यथा चमोली, जनपद पिथौरागढ एवं उत्तरकाशी के वित्तीय एवं वित्तीय अधिकार निदेशक के अनुमति के उपरान्त जनपद समन्वयक को दिये गये है। समन्वयक कार्यालयों में वेतन भत्तों, भ्रमण तथा किये गये कार्यो के व्यय हेतु डी0डी0ओ0 अधिकार निदेशक को दिये गये है।

- जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर एवं जनपद समन्वयक कार्यालयों के प्रशासनिक अधिकार निदेशक को दिये गये हैं, जिसमें समस्त कार्यो के सम्पादन हेतु संस्थान के अधिकारियों एवं जनपद समन्वयकों को निदेशक से सहमति लेना आवश्यक होता है।

फील्ड कार्यो हेतु निर्णय लेने की प्रक्रियाः–

1. **कृषक पंजीकरणः–** जनपदीय स्तर पर कृषकों का पंजीकरण संस्थान द्वारा किया जाता है। पंजीकरण के मुख्य उद्देश्य निम्न हैः–

   - कृषकों को तकनीकी जानकारी व प्रशिक्षण प्रदान कराना।
   - कृषकों को अनुदान सुविधा उपलब्ध कराना।
   - प्रसंस्करण व्यवस्था का लाभ देना।
   - जड़ी–बूटी की निकासी को सुगम बनाना।
   - कृषिकरण का डाटाबेस तैयार करना।

प्रत्येक जनपद में उपरोक्त कार्यो के सम्पादन एवं निरीक्षण हेतु जनपद समन्वयकों का निर्धारण किया गया है। संस्थान के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को जनपद समन्वयक बनाया गया है। जनपद समन्वयक द्वारा अपने जनपद के कृषकों का पंजीकरण किया जाता है।

इसके अतिरिक्त पंजीकरण कार्य में सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था के रूप में जनपदीय भेषज संघ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, वन विभाग, स्वयं सेवी संस्थायें आदि सहयोग प्रदान करते है। पंजीकरण की प्रतियां कृषक के अतिरिक्त सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं सहयोगी संस्था को भेजी जाती है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष संस्थान द्वारा प्रारम्भ की गयी वेब साइट पर किसानों के पंजीकरण का पूर्ण विवरण प्रमुखता से देने की कार्यवाही की जा चुकी है।

2. **चिन्हित प्रजातियांः–** कृषिकरण को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न जलवायु में उगाई जाने वाली 26 प्रजातियों का चयन किया गया है जो निम्नप्रकार हैः–

1. अतीस	2. कुटकी	3. कूठ	4. जटामासी	5. चिरायता
6. वन ककड़ी	7. फरण	8. कालाजीरा	9. पाइरेथ्रम	10. तगर
11. मंजीठ	12. बडी इलायची	13. कोलियस	14. रोजमेरी	
15. जिरेनियम	16. सर्पगन्धा	17. कलिहारी	18. सतावर	
19. लेमनग्रास	20. कैमोमाइल	21. सिलीबम	22. स्टीविया	
23. पिपली	24. बह्मी/मण्डूकपर्णी		25 अमीमेजस	
26. तिलपुष्पी				

जनपद समन्वयक द्वारा कृषकों के जनपद में उगाई जा सकने वाली प्रजातियों का निर्धारण किया जाता है। जलवायु के अनुरूप सम्बन्धित जनपद/कृषक के खेतों में उगाई जाने वाली प्रजातियों को जनपद समन्वयक तथा ब्लाक स्तर पर कार्यरत मास्टर ट्रेनरों द्वारा निर्धारित कर कृषकों को उगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

3. **अनुदान व्यवस्थाः–** कृषिकरण के लिए चयनित 26 प्रजातियों के कृषिकरण लागत मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है जिसकी अधिकतम सीमा रु0 1.00 लाख है।

अनुदान प्राप्त करने हेतु कृषक पंजीकरण के उपरान्त अनुदान प्रपत्र भरकर जनपद समन्वयक/सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से निदेशक को प्रेषित करते है। पाच सदस्यों की अनुदान समिति द्वारा उक्त प्रपत्रों का परीक्षण कर 50 प्रतिशत अनुदान सम्बन्धित कृषक को दिया जाता है।

4. हर्बल मण्डी की स्थापनाः– जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान के वित्तीय सहयोग से बीबीवाला (ऋषिकेश), आमडण्डा (रामनगर) एवं टनकपुर में तीन जड़ी–बूटी मण्डियों की स्थापना की गयी है। इन मण्डियों में वनों से एकत्रित तथा कृषिकरण से उत्पादित जड़ी–बूटियों का विपणन किया जाता है।

5. **अनुबंधित कृषिकरणः–** राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा समय–समय पर संचालित योजना/परियोजनाओं का उत्तराखण्ड राज्य में संचालन किया जाता है।

6. अनुसंधान– अनुसंधान कार्य हेतु एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला की स्थापना सगन्ध पादप केन्द्र, सेलाकुई में की गयी है जिससे किसानों के उत्पाद का रासायनिक परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण किया जा सके। अभी तक उत्तराखण्ड में सिर्फ भौतिक परीक्षण ही सम्भव हो पा रहा था किन्तु प्रयोगशाला के स्थापित होने से इन्स्टूमेन्टल एवं कैमिकल परीक्षण अब सम्भव हो गया है। इस प्रयोगशाला में जी0सी0एम0एस0 (नये कम्पाउण्ड के चिन्हीकरण हेतु), जी0सी0 (सगन्ध तेलों के सक्रिय रासायनिक तत्वो की मात्रा परीक्षण हेतु), एच0पी0एल0सी0 एवं एच0पी0टी0एल0सी0 (औषधीय पौधों में सक्रिय तत्वों की मात्रा परीक्षण हेतु), एफ0टी0आई0आर0 (सगन्ध तेलों में मिलावट की जांच करने हेतु), पोलरीमीटर (सगन्ध तेलों में आप्टीकल रोटेशन की जांच हेतु), रिफ्रैक्टोमीटर (सगन्ध तेलों में रिफ्रैक्टिव इन्डेक्स की जांच हेतु) जैसे आधुनिक उपकरण इस वर्ष लगाये गये है तथा एक रसायनिक विश्लेषण प्रयोगशाला की भी स्थापना की गयी है जिसके द्वारा सगन्ध एवं औषधीय पौधों में रसायनिक विश्लेषण के मानकों के अनुरूप टेस्टिंग की जाती है।

इसके अलावा पुष्करमूल, चिरायता, दालचीनी, वायविड़ग व साल्विया के जर्म प्लाज्म स्थापित किये गये है जिनके वृद्धि एवं कृषिकरण तकनीक पर कार्य प्रारम्भ किया गया है।

जड़ी–बूटी कृषिकरण मानकः–

जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान के मानक निम्नप्रकार हैः–

1. प्रत्येक जनपद में जनपद समन्वयकों द्वारा बी0पी0एल0 कृषकों का चयन किया जाता है। बी0पी0एल0 कृषकों को 03 नाली भूमि में कृषिकरण हेतु जड़ी–बूटी बीज पौध निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

2. बी0पी0एल0 कृषकों के अतिरिक्त सीमान्त जनपदों में सभी वर्ग के कृषकों को 03 नाली भूमि में कृषिकरण हेतु जड़ी–बूटी बीज पौध निशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

3. प्रदेश के सामान्य कृषकों हेतु कृषिकरण लागत का 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था है। कृषिकरण अनुदान (50 प्रतिशत) हेतु अधिकतम वित्तीय सीमा रु0 01 लाख तथा अधिकतम भूमि 02 हे0 हेतु प्रदान किया जाता है।

जड़ी–बूटी कृषिकरण/पंजीकरण मानक

1. किसी भी राजकीय एवं गैर राजकीय संस्था के सहयोग से किया जा सकता है यथा जनपदीय भेषज संघ, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, वन विभाग, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, आईफेड, शोध संस्थाए, विश्वविद्यालय, औद्योगिक संस्थाए, स्वयं सेवी संस्थायें आदि।
2. जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान स्वयं भी अपने स्तर से यह कार्य करता है।
3. कृषकों को जनपद आधार पर पंजीकरण नम्बर आंवटन किया जाता है।
4. पंजीकरण की सूचना वन विभाग को भी संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
5. पंजीकरण उन्ही कृषकों का किया जाता है जिनके नाम विधिवत भूमि उपलब्ध है।
6. पंजीकरण कार्य 4 वर्षो के लिए किया जाता है एवं तत्पश्चात पंजीकरण का नवीनीकरण किया जा सकता है।
7. कृषिकरण प्रारम्भ करने के पश्चात 3 माह के अन्दर पंजीकरण कराना अवश्यक है।
8. चूकि पंजीकरण का कार्य शोध संस्थान द्वारा पहली बार किया जा रहा है अतः विशेष परिस्थितियों में उन कृषकों के द्वारा भी पंजीकरण कराया जा सकता है जो विगत वर्षो से कृषिकरण कर रहे है तथा अभी तक पंजीकरण नही करा सकते है।
9. पंजीकरण निर्धारित प्रारूप पर 5 प्रतियों में संस्थान द्वारा किया जाता है उसकी एक–एक प्रति कृषक, सहयोगी प्रतिनिधि संस्था, सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी, जड़ी–बूटी मास्टर ट्रेनर को प्रेषित की जाती है तथा कार्यालय प्रति संस्थान द्वार सुरक्षित रखी जाती हैं।
10. सहयोगी/प्रतिनिधि संस्थाओं या संस्थान द्वारा कृषकों से आवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक सर्वेक्षण जांच की जायेगी एवं तत्पश्चात ही पंजीकरण की कार्यवाही की जायेगी। कृषिकरण की आड में यदि वन क्षेत्रों से अवैध दोहन या निकासी कराई जाती है तो सहयोगी प्रतिनिधि संस्था या संस्थान को भी उत्तरदायी माना जायेगा।

11. सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था पंजीृत कृषक को कृषिकरण के दौरान उपज प्राप्त होने तक वांछित सहायता प्रदान करेगी तथा कृषिकरण का अनुश्रवण एवं प्राप्त होने वाली उपज का आंकलन करेगी।
12. पंजीकृत कृषकों के लिए सहयोगी/प्रतिनिधि संस्था एवं संस्थान द्वारा गोष्ठी/प्रशिक्षण का समय–समय पर आयोजन किया जायेगा जिसमें जड़ी–बूटी के कृषिकरण की तकनीकी एवं प्रसंस्करण के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी।
13. संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष कास्तकारों की सूची प्रकाशित की जायेगी तथा सहयोगी/प्रतिनिधि संस्थाओं को उपलब्ध कराई जायेगी।

जड़ी–बूटी विपणन मानक

1. प्रदेश में जड़ी–बूटी कृषिकरण करने वाले कृषक का पंजीकरण संस्थान द्वारा किया जाता है, जो निशुल्क है।

2. पंजीकृत कास्तकारों के उत्पादों के विपणन हेतु सम्बन्धित कृषक को विपणन संस्थाओं की सूचना संस्थान के जिला समन्वयकों/मास्टर ट्रेनरों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

3. उत्पाद को विपणन स्थल/गन्तव्य स्थल तक पहुचाने के लिये संस्थान द्वारा निकासी पास (रवन्ना) निर्गत किया जाता है। संस्थान द्वारा केवल कृषिकरण से उत्पादित जड़ी–बूटियों का रवन्ना प्रदान किया जाता है।

4. जंगलों से संग्रहित की जाने वाली जड़ी–बूटियों का रवन्ना वन विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है।

5. संस्थान द्वारा दिये गये वित्तीय सहायता सहित वन निगम ने तीन स्थानों पर विपणन मण्डियों की स्थापना की है, जो ऋषिकेश, रामनगर तथा टनकपुर में स्थापित है।

6. विपणन मण्डियों में वनों से संग्रहित तथा कृषिकरण से उत्पादित जड़ी–बूटी उत्पादों का विपणन किया जा सकता है।

दस्तावेजों की सूचीः–

जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान, गोपेश्वर के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि दस्तावेज कहा उपलब्ध रहते है, जैसे कि अधिकारी का नाम, सुपरवाइजर का नाम, कर्मचारी का नाम इत्यादि।

प्रवर्ग	दस्तावेजों का नाम एवं परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक / नियन्त्रणाधीन
कार्यालयों में धारित अभिलेख	1.विभागीय कार्यालयों में अनुरक्षित अभिलेखः– उपस्थिति पंजिका, भ्रमण पंजिकाद्व ठी0ए0 बिल, चैक पंजिका, आकस्मिक पंजिका, कैशबुक, कैश रसीद बुक, भण्डार पंजिका, बिलबुक लेजर, ट्रेजरी गार्ड, जी0पी0एफ0 लेजर एवं पंजिका, सेवा पुस्तिका, डाक प्रेषण एवं प्राप्ति पंजिका, शासकीय डाक टिकट पंजिका, वाहन लौग बुक, चालान गार्ड फाइल, शासन स्तर के पक्के निस्तारण पंजिका, बकाया पंजिका, बजट आंवटन पंजिका, व्यय विवरण पंजिका, निरीक्षण पंजिकाद्व आगन्तुक पंजिका, इन्वैन्ट्री पंजिका, शिकायत पंजिका, निरीक्षण पंजिका आदि।	निदेशक,एच0आर0 डी0आई0 कार्यालय	निदेशक
	2. जिला समन्वयक कार्यालय से दस्तावेज यथा कृषक पंजीकरण, कार्यालय अभिलेख, बिल–बाउचर, पंजिका इत्यादि	कार्यालय– जिला समन्वयक, जनपद, चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ	जिला समन्वयक, जडी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान।